कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर होटल व दुकानें की गईं सील

कोरोना नियमों का उल्लंघन करने जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

साकची में दिल्ली दरबार व बिष्टुपुर में अशोका साड़ी समेत कई दुकानें सील

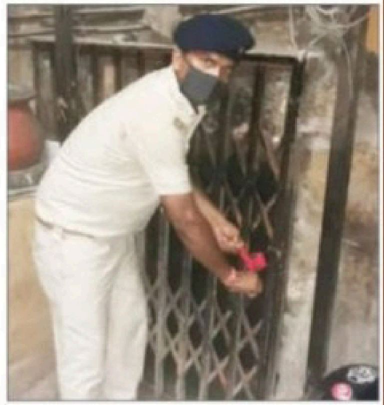

जमशेदपुर : मंगलवार को शहर में कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए सघन जांच अभियान चलाया गया और इस दौरान में कई दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाया गया और कई साकची के दिल्ली दरबार और बिष्टुपुर में पांच दुकानों को सील कर दिया गया. प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) को साकची स्थित दिल्ली दरबार रेस्टूरेंट में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने की शिकायत मिली थी.जांच करने पर शिकायत सही पायी गयी. देर रात तक नियमों को ताक पर रख कर होटल में ग्राहकों को खाना परोसा जा रहा था.दिल्ली दरबार होटल को तीन दिन के लिये सील कर दिया गया. जांच के दौरान पाया गया कि दिल्ली दरबार के कर्मियों द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा था. साथ ही साथ किचन के कर्मियों द्वारा भी मास्क और ग्लव्स का प्रयोग नहीं किया जा रहा था. यह भी पाया गया कि सभी टेबल पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ग्राहक बैठे हुए थे. इधर कदमा में जेएनएसी की उड़नदस्ता टीम के द्वारा एक दुकान पर छापा मार कर प्रतिबंधित गुटखा उत्पाद मिलने पर 5000 रुपये का फाइन वसूल किया गया.

दूसरी ओर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर तथा बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के इंसीडेंट कमांडर के द्वारा बिष्टुपुर में देर शाम सघन जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान कई दुकानों में गाइडलाइन का उल्लंघन पाया गया.बिस्टुपुर मार्केट में मास्क चेकिंग की गई तथा जिन दुकानों में दुकान के स्टाफ अथवा ग्राहक मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे,उन दुकानों को बंद कराया गया. ऑवरेलिया, किलर एमएन, कलाकारी बूटिक को 24 घंटे के लिए सील किया गया. वहीं अशोक एंड कंपनी, मॉडर्न ट्रेलर, अनस कलेक्शन को 48 घंटे और अशोका साड़ी को 72 घंटे के लिए सील किया गया.एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर इस तरह की कार्रवाई होते रहेगी.